



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सा.का.नि. 226(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2016 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए मलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांधी | - अध्यक्ष |
| (ii) | माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सहाय एंडला | - सदस्य |
| (iii) | माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा रानी | - सदस्य |
| 2. | यह अधिसूचना 23 मार्च, 2017 से प्रभावी होगी। | |

[फा. सं. यू.11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

नलिनी रंजन सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 25 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 193 (अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 25 फरवरी, 2016 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2017

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 193(E), dated 25th February, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of:—

- (i) Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sahai Endlaw, Member
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Pratibha Rani, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2017.

[F. No. U.11016/01/2011-PITNDPS]

NALINI RANJAN SINGH, Under Secy.

Footnote : The Notification G.S.R.193(E), dated 25th February, 2016 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 25th February, 2016.